न्यायालय कलेक्टर जिला आगर मालवा म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 103/अ-20(3)/2023-24

आदेश

(दिनांक०५नवम्बर 2024 को पारित)

--00--

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्राधिकृत अधिकारी ईएमआईएल माईन्स एण्ड मिनिरल्स रिसोर्सेस लिमिटेड के द्वारा आरसीएमएस पोर्टल पर आनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 08/01/2024 प्रस्तुत कर ग्राम खेड़ा चौहान तहसील बडौद स्थित की कुल भूमि **79.380** हेक्टेयर भूमि में से **69.15** हेक्टेयर भूमि की मांग बंधा कॉल ब्लाक में वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु की गयी है। ग्राम खेड़ा चौहान की आवेदित भूमि का विवरण निम्नानुसार है।

क्रमांक	सर्वे क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)	आवेदित रकबा (हेक्टेयर में)
1	1363	14.810	14.81
2	1066	29.910	25.08
3	1380	2.000	2.00
4	1369	27.010	27.01
5	1356	5.650	0.25
	कुल किता 5	**79.380 हेक्टेयर**	**69.15** हेक्टेयर

2/ आनलाईन प्राप्त आवेदन की जांच उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद एवं तहसीलदार से करवायी गयी। तहसीलदार बडौद ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेखित किया कि प्रकरण में विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया। नियत समयावधि में कोई आपत्ती प्राप्त नहीं। प्रकरण में दिनांक 20/02/2024 से अधीक्षण यंत्री म. प्र. विद्युत वितरण कंपनी बड़ौद, वन विभाग, अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उपसंभाग आगर तथा संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश उज्जैन म. प्र. को अभिमत हेतु सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत को ठहराव प्रस्ताव तथा हल्का पटवारी को मौका जांच मय प्रतिवेदन के पेश किये जाने हेतु पत्र जारी किया गया। प्रकरण में कार्यालय सहायक यंत्री म. प्र. प. क्षे. वि. वि. कं. लिमि.बड़ौद द्वारा पत्र क्रमांक/क.पं./6828 बडौद दिनांक 11.03.2024, अनुविभागीय अधिकारी लो.नि.वि. (भ/स) उपसंभाग आगर-मालवा द्वारा पत्र क्रमांक/99/तक/2023-24 आगर दिनांक 23.02.2024 से आपत्ति नहीं होना बताया है।संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश द्वारा आज दिनांक तक अभिमत प्रदान नहीं किया गया है। मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 की कण्डिका 48 (2) (झ) यथा आवश्यक अन्य विभागों के जिला अधिकारियों से सामान्यतः पंद्रह दिवस की अवधि में अभिमत / परामर्श लिया जाएगा, यदि तीस दिवस में भी कोई अभिमत / परामर्श प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा की उन्हें कोई आपत्ती नहीं है। अतः कण्डिका अनुसार उक्त विभाग को कोई आपत्ती नहीं है। प्रकरण में कार्यालय वनपरिक्षेत्र अधिकारी, वन परिक्षेत्र आगर-मालवा वनमंडल शाजापुर म.प्र. द्वारा पत्र क्रमांक/2024/632 आगर मालवा दिनांक 20.04.2024 आवेदित भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने में वन विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम पंचायत खेडा नारेला द्वारा ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 06 दिनांक 16.09.2024 प्रस्तुत कर बताया कि कि ग्राम खेडा चौहान तहसील बडौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1356 रकबा 5.65 हे. में से 0.25 है., 1369 रकबा 27.01 हे., 1066 रकबा 29.910 हे. में से 25.08 है.,1380 रकबा 2.00 हे., 1363 रकबा 14.81 है. भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने में ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है। प्रकरण में पटवारी ग्राम खेडा चौहान के द्वारा रिपोर्ट (प्रारूप-5) में जानकारी की पूर्ति की गई तथा जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम की गोचर भूमि का रकबा 11.16 हे. है. आवेदित भूमि यदि आवंटित की जाती है तो गोचर का शेष रकबा 11.16 है. है। ग्राम का शामिल जोत का रकबा 318.08 है. है। शामिल जोत के रकबे का 2 प्रतिशत 6.36 हे. होता है। अतः भूमि आवंटन

से 2 प्रतिशत चरनोई का रकबा प्रभावित नहीं होता है। हल्का पटवारी खेडा चौहान द्वारा ग्राम खेडा चौहान तहसील बड़ौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1356 रकबा 5.65 है. में से 0.25 हे.,1369 रकबा 27.01 है., 1066 रकबा 29.910 हे. में से 25.08 है., 1380 रकबा 2.00 है., 1363 रकबा 14.81 है. कुल किता 05 कुल रकबा 69.15 हे. भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किया जाना उचित प्रतिवेदित किया है। प्रीमियम राशि गणना प्रपत्र अनुसार ग्राम खेडा चौहान स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1356 रकबा 5.65 हे. में से 0.25 है., 1369 रकबा 27.01 है., 1066 रकबा 29.910 हे. में से 25.08 हे., 1380 रकबा 2.00 हे.,1363 रकबा 14.81 हे. कुल किता 05 कुल रकबा 69.15 हे. भूमि का कलेक्टर गाईड लाईन वर्ष 2024-25 के अनुसार ग्राम खेडा चौहान की सिंचित भूमि 14,32,000 (अक्षरी चौदह लाख बत्तीस हजार रूपये) प्रति हेक्टेयर के मान से दी जा रही भूमि का बाजार मूल्य मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-6-101/2019/सात/3 के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारण 15,84,36,480/- (अक्षरी पंद्रह करोड चौरासी लाख छत्तीस हजार चार सौ अस्सी रूपये) होता है। तहसीलदार बडौद द्वारा ग्राम खेडा चौहान तहसील बड़ौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1356 रकबा 5.65 हे. में से 0.25 है., 1369 रकबा 27.01 हे., 1066 रकबा 29. 910 हे. में से 25.08 है., 1380 रकबा 2.00 है., 1363 रकबा 14.81 है. कुल किता 05 कुल रकबा 69.15 हे. भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिये आवंटित किये जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी (रा.) अनुभाग आगर- बड़ौद जिला आगर मालवा को प्रेषित किया गया। उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद ने तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रकरण इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

3/ जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 04.11.2024 . को आयोजित की गयी। समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। जिसमें ग्राम खेडा चौहान तहसील बड़ौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1356 रकबा 5.65 हे. में से 0.25 है., 1369 रकबा 27.01 हे., 1066 रकबा 29.910 हे. में से 25.08 है., 1380 रकबा 2.00 है.,1363 रकबा 14.81 है. कुल किता 05 कुल रकबा 79.380 हे. मे से 69.15 हेक्टेयर भूमि को बंधा कॉल ब्लाक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

4/ मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 04.11.2024 में भूमि आवंटन की अनुशंसा किये जाने, उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) आगर-बडौद एवं तहसीलदार प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम खेडा चौहान तहसील बड़ौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1356 रकबा 5.65 हे. में से 0.25 है., 1369 रकबा 27.01 हे., 1066 रकबा 29.910 हे. में से 25.08 है., 1380 रकबा 2.00 है.,1363 रकबा 14.81 है. कुल किता 05 कुल रकबा 79.380 हे. मे से 69.15 हेक्टेयर भूमि को मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के प्रावधान के तहत उसके वर्तमान प्रयोजन से कम किया जाकर **वैकल्पिक वृक्षारोपण** प्रयोजन हेतु **वन विभाग को** मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के निर्देश 8 (7) के प्रावधान के तहत प्राधिकृत अधिकारी ईएमआईएल माईन्स एण्ड मिनिरल्स रिसोर्सेस लिमिटेड द्वारा मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-6-101/2019/सात-3 दिनांक 05.01.2021 अनुसार ग्राम खेडा चौहान तहसील बडौद कुल किता 05 कुल रकबा 79.380 हे. मे से 69.15 हेक्टेयर पर परिपत्र के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारण 15,84,36,480/- (पंद्रह करोड चौरासी लाख छत्तीस हजार चार सौ अस्सी रूपये) जमा किये जाने की शर्त पर निम्नानुसार शर्तो के साथ हस्तांतरित की जाती है :-

1. विभाग को किसी भी निर्माण के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से स्थल अनुमति एवं स्थानीय ग्राम पंचायत से बिल्डिंग अनुमति प्राप्त करना होगी।
2. विभाग यदि 02 वर्ष में उक्त आबंटित भूमि का उपयोग नहीं करता है तो उक्त भूमि को बगैर किसी सूचना के पूर्ववत शासन मद में दर्ज कर लिया जावेगा।
3. भूमि का उपयोग **वैकल्पिक वृक्षारोपण** प्रयोजन हेतु ही उपयोग किया जा सकेंगा, अन्यथा प्रयोजन में भूमि का उपयोग किये जाने की दशा में यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेंगा।
4. हस्तांतरित भूमि पर निर्माण के समय जल संर्वधन एवं पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन किया जाना होंगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होने की दशा में यह भूमि हस्तांतरण आदेश स्वतः शून्यवत हो जावेंगा।

5/ तहसीलदार बडौद, की ओर आदेशानुसार हस्तांतरित भूमि के संबंध में निर्धारित राशि जमा किये जाने के उपरांत ही की प्रविष्टि अभिलेख में अंकित करावें तथा खसरा नकल तत्काल इस न्यायालय को भिजवावें।

04/11/24

(राघवेन्द्र सिंह)
कलेक्टर
जिला आगर मालवा म.प्र.

क्रमांक/रीडर/2024/ 391 आगर मालवा, दिनांक 04/11/2024

प्रतिलिपि :-

1. वनमंडलाधिकारी वनमंडल शाजापुर की ओर सूचनार्थ।
2. उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) आगर-बडौद।
3. प्राधिकृत अधिकारी ईएमआईएल माईन्स एण्ड मिनिरल्स रिसोर्सेस लिमिटेड की ओर सूचनार्थ।
4. अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला आगर मालवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. तहसीलदार बडौद, की ओर भेजकर लेख है कि आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल निर्धारित राशि जमा कराये जाने के उपरांत किया जावें तथा खसरा नकल तत्काल इस न्यायालय को भिजवावें।

04/11/24

कलेक्टर
जिला आगर मालवा म.प्र.

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:खेडा चौहान			पटवारी हल्का:नारेला			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1609194554 81MZZYD8ZFN2H0	1066/1 (S)		25.0800 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0103/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 04/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

नक़्शा की प्रतिलिपि

वर्ष: 2024-25 | दिनांक: 03-02-2025 12:10:32

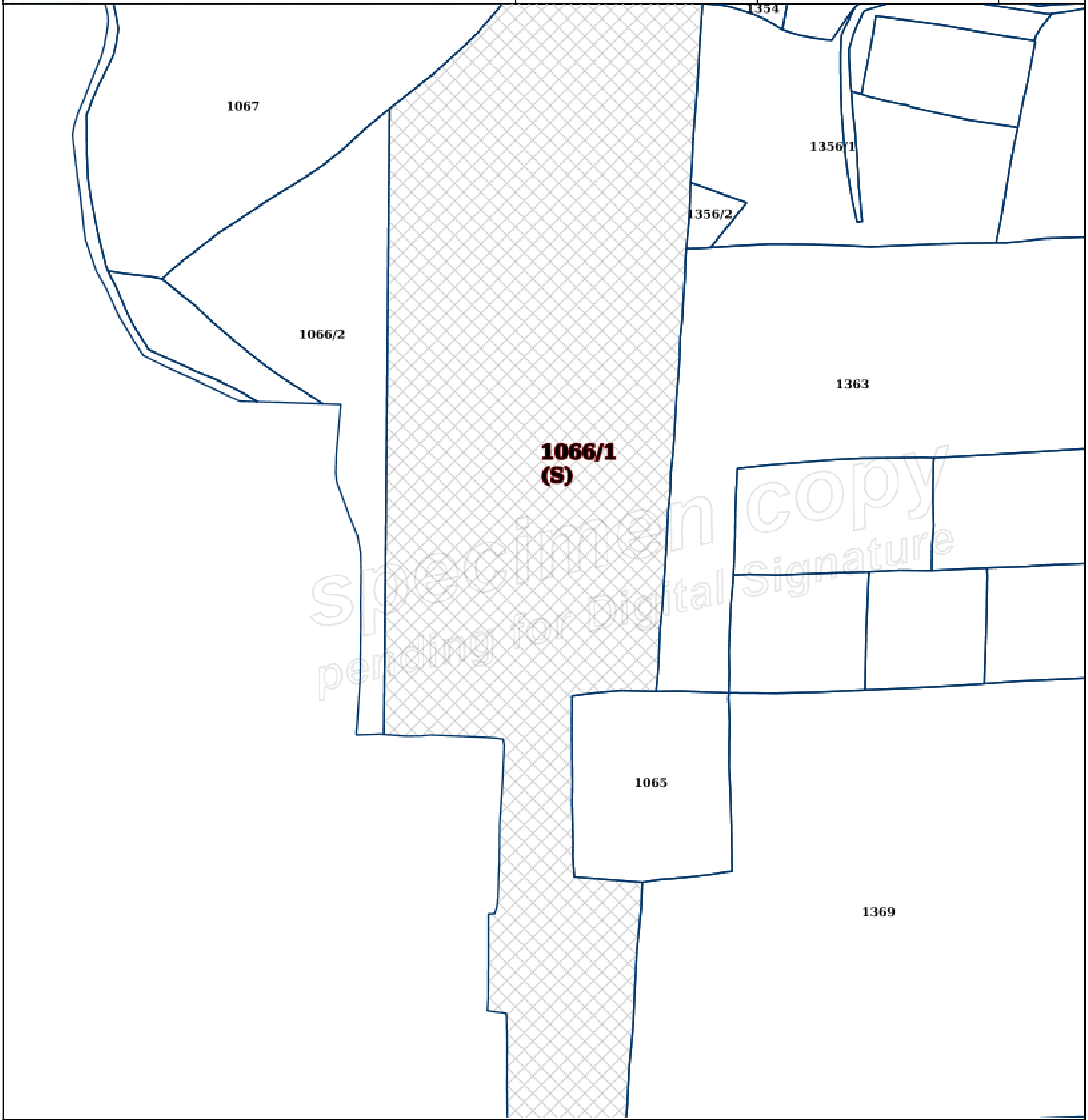

Specimen copy
pending for Digital Signature

ब्लॉक सं.	ग्राम	हल्का	तहसील	जिला
	खेडा चौहान	नारेला	बडौद	आगर-मालवा

सर्वेक्षण सं.	क्षेत्रफल	भू.रा.श
1066/1(S)	25.0800(हेक्ट.)	0

मापांक 1:4000

0 50 100 150 200m

भूस्वामी : (शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था

(हस्ताक्षर)

नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइड कॉपी के लिए आई. टी. सेंटर से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:खेडा चौहान			पटवारी हल्का:नारेला			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1609194532 81MRU3D8ZHGPH0	1356/2 (S)		0.2500 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0103/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 04/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

नक़्शा की प्रतिलिपि

वर्ष: 2024-25	दिनांक: 03-02-2025 12:12:11

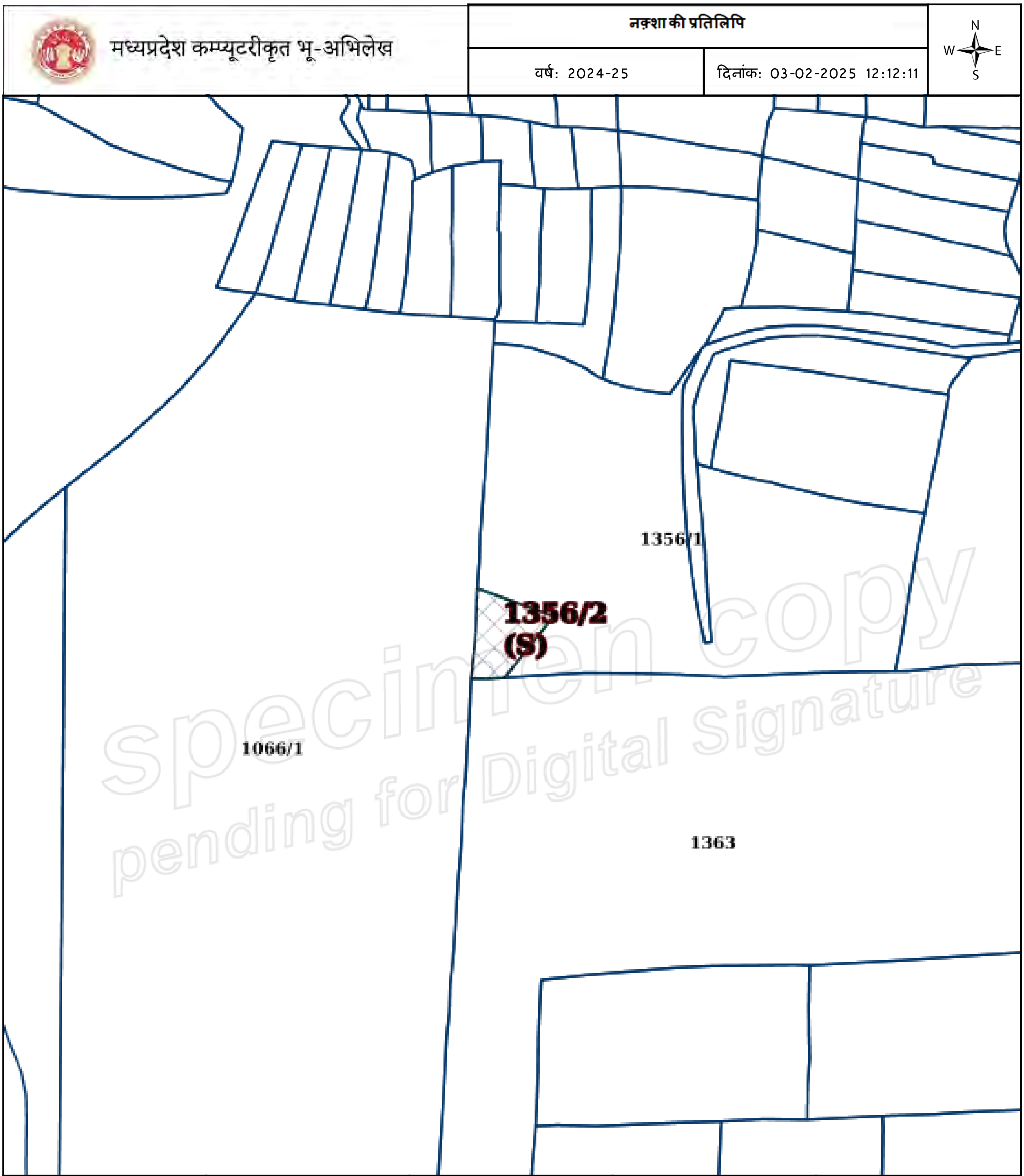

ब्लॉक सं.	ग्राम	हल्का	तहसील	जिला
	खेडा चौहान	नारेला	बड़ौद	आगर-मालवा
सर्वेक्षण सं.	क्षेत्रफल	भू.रा.शा	मापांक 1:4000 (पृष्ठ आकार A4)	
1356/2(S)	0.2500(हेक्ट.)	0	0 20 40 60 80 120 160 200m	

भूस्वामी : (शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था

(हस्ताक्षर)

नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए आई. टी. सेंटर से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:खेडा चौहान			पटवारी हल्का:नारेला			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे: फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1471777132 81MPLVD8ZN21H0	1363 (S)		14.8100 हेक्टेयर का0का0 14.8100 रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0103/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 04/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

नक़्शा की प्रतिलिपि

वर्ष: 2024-25 | दिनांक : 03-02-2025 12:18:26

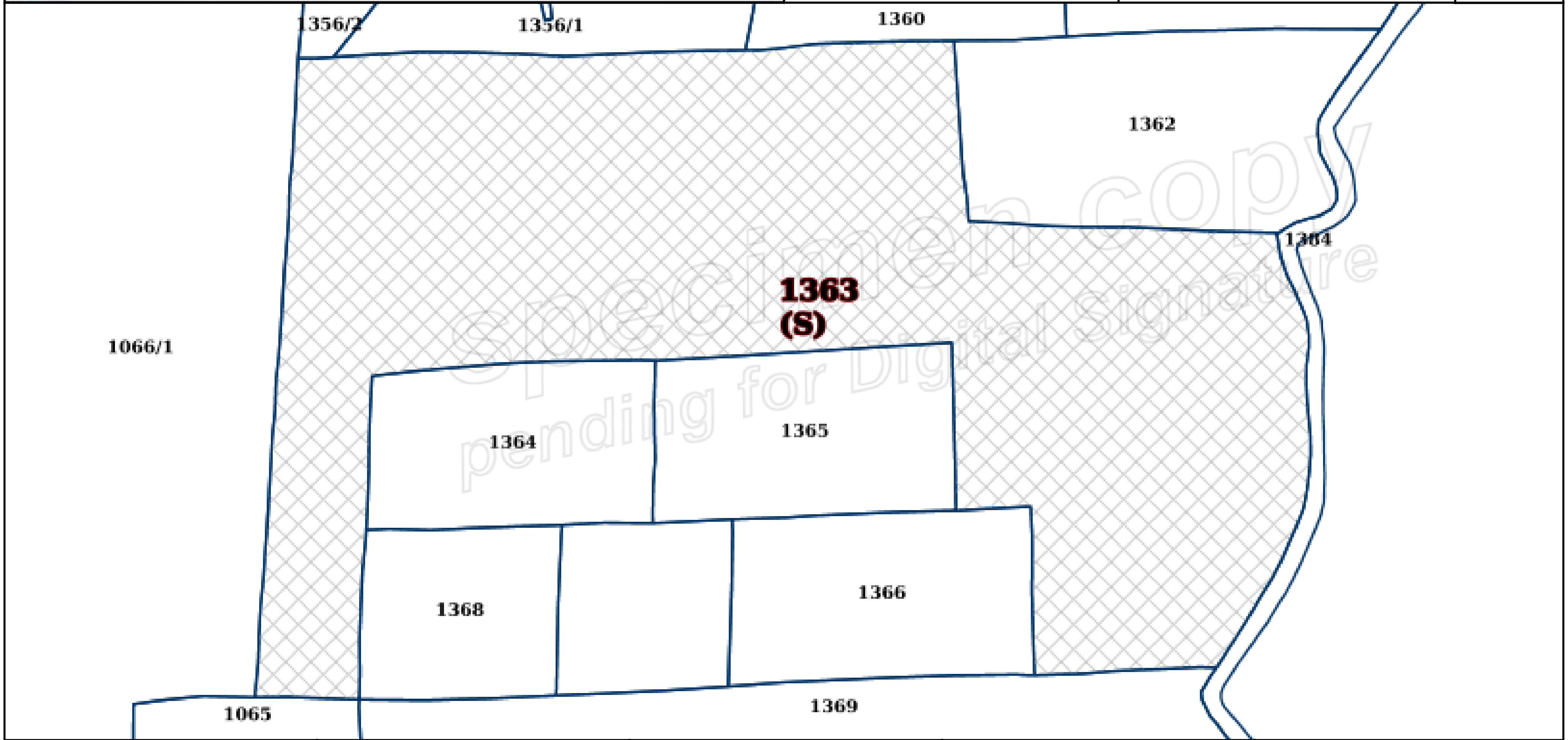

ब्लॉक सं.:	ग्राम:खेडा चौहान	हल्का:नारेला	तहसील:बडौद	जिला:आगर-मालवा
सर्वेक्षण सं.: 1363(S)	क्षेत्रफल:14.8100(हेक्ट.)	भू-राजस्व:0.00	मापांक 1:4000 (पृष्ठ आकार A4)	0 20 40 60 80 100 120 160m

भूस्वामी : (शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था

(हस्ताक्षर)

नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए आई. टी. सेंटर से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:खेडा चौहान			पटवारी हल्का:नारेला			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1472092277 81ML5BD8ZJG1H0	1369 (S)		27.0100 हेक्टेयर गैरमुमकिन बर्डी 27.0100 रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0103/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 04/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

नक़्शा की प्रतिलिपि

वर्ष: 2024-25	दिनांक: 03-02-2025 12:20:15

N W E S

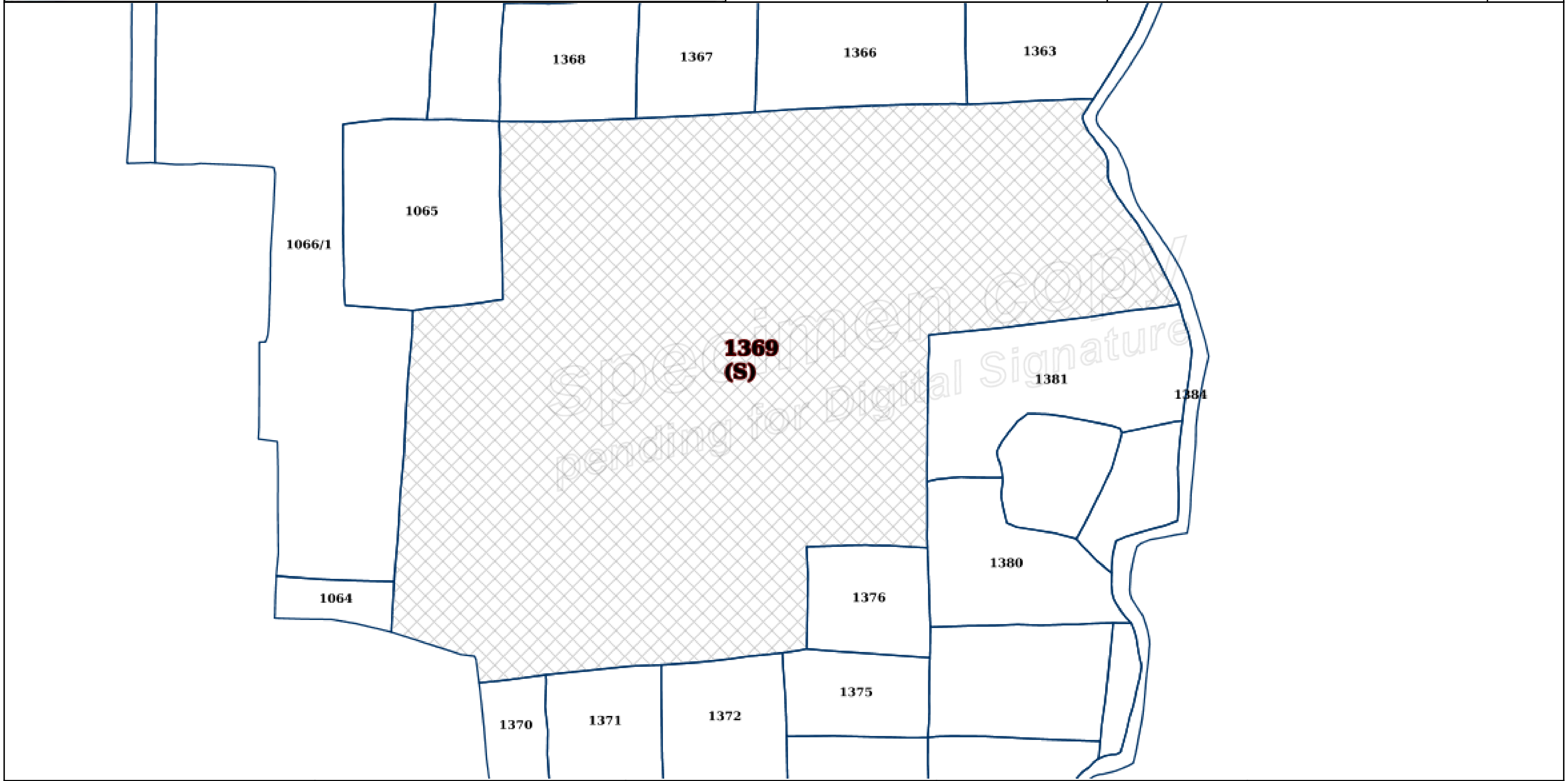

ब्लॉक सं.:	ग्राम:खेडा चौहान	हल्का:नारेला	तहसील: बड़ौद	जिला:आगर-मालवा

सर्वेक्षण सं.:	1369(S)	क्षेत्रफल:27.0100(हेक्ट.)	भू-राजस्व:0.00

भूस्वामी : (शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था

मापांक 1:4000

0 50 100 150 200m

(हस्ताक्षर)

नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए आई. टी. सेंटर से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम:खेडा चौहान			पटवारी हल्का:नारेला			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1472663013 81MJM8D8ZMTMH0	1380 (S)		2.0000 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र. 0103/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 04/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित । न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0103/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 04/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

specimen copy

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख	नक़्शा की प्रतिलिपि		N W E S
	वर्ष: 2024-25	दिनांक : 03-02-2025 12:15:46	

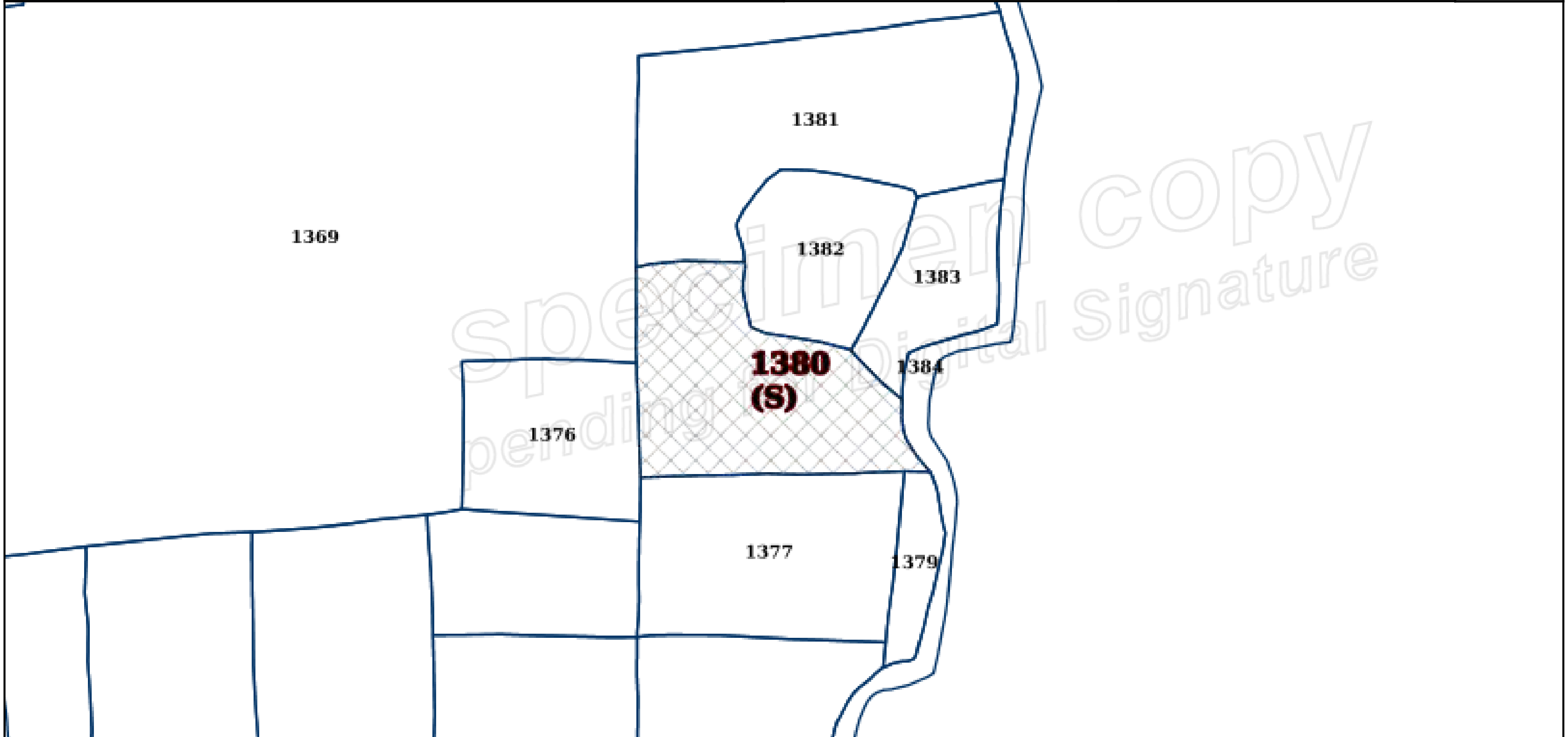

specimen copy
pending for Digital Signature

ब्लॉक सं.:	ग्राम:खेडा चौहान	हल्का:नारेला	तहसील:बडौद	जिला:आगर-मालवा
सर्वेक्षण सं.: 1380(S)	क्षेत्रफल:2.0000(हेक्ट.)	भू-राजस्व:0.00	मापांक 1:4000 (पृष्ठ आकार A4)	0 20 40 60 80 100 120 160m

भूस्वामी: (शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था

(हस्ताक्षर)

नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए आई. टी. सेंटर से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |